

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
निःशुल्क बोरिंग हेतु अनुरोध/अनुबन्ध पत्र

सेवा में,
सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,
जनपद

मोहदय,
अनुरोध हैं कि मैं..... पुत्र/ पत्नी श्री
निवासी ग्राम विकाश खण्ड
जनपद उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत
बोरिंग कराकर शासन द्वारा आनुमान्य अनुदान कि दरों पर विद्युत/डीजल, पम्पसेट/ नलकूप स्थापित कर
अथवा किराये के पम्पसेट से सिंचाई सुबिधा का लाभ उठाना चाहता हूं।
१. मैं बोरिंग कार्य में लघु सिंचाई विभाग को पूर्ण सहयोग दूंगा।
२. मैं बोरिंग स्थल पर सरकारी सामान तथा स्टॉक सामग्री की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करूंगा तथा किसी
भी प्रकार की हानि का उत्तरदायी रहूंगा।
३. मुझे बोरिंग कार्य हेतु आनुमान्य अनुदान की जानकारी है, मैं मु० रु०
से अधिक जो भी व्यय होता है उसे बोरिंग प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कर दूंगा अथवा स्वयं वहन
करूंगा।
४. मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं वर्तमान में पम्पसेट अस्थापित नहीं
करना चाहता हूं। पम्पसेट किराये पर ले कर निःशुल्क बोरिंग का उपयोग सिंचाई हेतु करूंगा।

अथवा

मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं बैंक के माध्यम से विद्युत/डीजल
पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा, और दो महीने में पम्पसेट स्थापित
करा लूंगा।

अथवा

मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं नकद क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत 02 महीने में
पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

५. मैं बोरिंग पूर्ण होने के दो महीने के अंदर ही विद्युत/डीजल पम्पसेट स्थापित करके सिंचाई का आरंभ कर दूंगा। ऐसा न होने पर मैं सरकार द्वारा प्रदात किसी भी सुविधा का हकदार न होऊंगा, तथा सरकार को अधिकार होगा कि वह मुझसे प्राप्त ऋण और अनुदान को, एक एकमुश्त भू-राजस्व के रूप में मुझसे कर लें।
६. मैं बोरिंग का साइज और पम्पसेट का हॉर्सपावर वहीं रखूंगा जो लघु सिंचाई विभाग द्वारा मेरी जोत, डिस्चार्ज और हॉर्सपावर हेड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें परिवर्तन करने पर मैं अनुदान का अधिकारी नहीं होऊंगा।
७. मैं इस योजना हेतु शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों और शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करूंगा।

दिनांक

ह० कृषक
(१ रु० के रेविन्यू स्टाम्प पर)